पत्रांक : 6प०/रा०वि०आ०–14/2019/6848/पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

आनंद शर्मा, *भा०प्र०से०*
निदेशक

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्,
सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक : 02.6.25

विषय : षष्ठम् राज्य वित्त आयोग योजना के तहत पंचायत विकास योजना (GPDP/BPDP/DPDP) में चयनित योजनाओं को ई–पंचायत पोर्टल में प्रविष्टि किये जाने के संबंध में।

प्रसंग : विभागीय पत्रांक 577 दिनांक 10.01.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रसंगाधीन विभागीय पत्र के माध्यम से षष्ठम् राज्य वित्त आयोग योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 के लिए सहभागी पंचायत विकास योजना (GPDP/BPDP/DPDP) तैयार करते हुए क्रमशः दिनांक 26.01.2025 एवं 31.03.2025 तक ई–पंचायत पोर्टल में डाटा प्रविष्टि किये जाने हेतु निदेश संसूचित है।

2. षष्ठम् राज्य वित्त आयोग योजना के तहत पंचायत विकास योजना (GPDP/BPDP/DPDP) द्वारा चयनित योजनाओं एवं राशि के व्यय की समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि ई–पंचायत पोर्टल पर योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति एवं राशि के व्यय की गति काफी धीमी है। उक्त के संबंध में कतिपय उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् तथा जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि पंचायत विकास योजना (GPDP/BPDP/DPDP) में चयनित योजनाओं की प्रविष्टि हेतु ई–पंचायत पोर्टल को पुनः खोला जाए।

3. उक्त के आलोक में षष्ठम् राज्य वित्त आयोग योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 के लिए सहभागी पंचायत विकास योजना (GPDP/BPDP/DPDP) में चयनित योजनाओं को ई–पंचायत पोर्टल में प्रविष्टि हेतु कार्यहित में दिनांक 01.06.2025 से 15.06.2025 तक समय निर्धारित करते हुए पोर्टल खोला जा रहा है। उक्त निर्धारित अवधि में पंचायत विकास योजना

(GPDP/BPDP/DPDP) के तहत अनुमोदित कार्य योजना को ई–पंचायत पोर्टल पर प्रविष्टि किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

4. उक्त निर्धारित अवधि में पंचायत विकास योजना (GPDP/BPDP/DPDP) में चयनित योजनाओं को ई–पंचायत पोर्टल में प्रविष्टि हेतु जिला परिषद् के लिए संबंधित उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति के लिए संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी, प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी तथा ग्राम पंचायत के लिए संबंधित प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी एवं पंचायत सचिव की व्यक्तिगत् जबावदेही होगी।

विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 के लिए सहभागी पंचायत विकास योजना (GPDP/BPDP/DPDP) में चयनित योजनाओं को ई–पंचायत पोर्टल में प्रविष्टि के लिए निर्धारित समयावधि समाप्त होने के पश्चात ई–पंचायत पोर्टल पर योजना की प्रविष्टि समाप्त कर दिया जाएगा। यदि निर्धारित समयावधि समाप्त होने के पश्चात् ई–पंचायत पोर्टल में योजना की प्रविष्टि किये जाने हेतु अनुरोध किया जाता है, तो उस पर नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

(आनंद शर्मा)
निदेशक

ज्ञापांक : 6प०/रा०वि०आ०–14/2019/6848/पं०रा०, पटना, दिनांक 02/6/25
प्रतिलिपि : सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

(आनंद शर्मा)
निदेशक

ज्ञापांक : 6प०/रा०वि०आ०–14/2019/6848/पं०रा०, पटना, दिनांक 02/6/25
प्रतिलिपि : निदेशक, NIC, Patna/आई०टी०, मैनेजर/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–11 (अनुश्रवण कोषांग), पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

(आनंद शर्मा) 30/05
निदेशक

अत्यावश्यक

पत्रांक–6प० / रा०वि०आ०–14 / 2019 / 577 / पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

आनंद शर्मा, भा०प्र०से०
निदेशक।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद,
सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
बिहार।

दिनांक : 10 / 01 / 2025

विषय :– वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 के लिए सहभागी पंचायत विकास योजना, तैयार किए जाने एवं ई–पंचायत पोर्टल में डाटा प्रविष्टि किये जाने के संबंध में।

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक 8949 दिनांक 30.09.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पंचायत के तीनों स्तर पर सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास का दृष्टिकोण रखते हुए ग्राम पंचायतों के समावेशी विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 के लिए पंचायत विकास योजना (GPDP/BPDP/DPDP) तैयार कर ई–पंचायत पोर्टल में डाटा प्रविष्टि किये जाने का निदेश दिया गया है।

2. उल्लेखनीय है कि षष्ठम् राज्य वित्त आयोग के तहत योजनाओं का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण e-Panchayat Portal द्वारा किया जा रहा है। उक्त पोर्टल के माध्यम से षष्ठम् राज्य वित्त आयोग अंतर्गत नई योजनाओं की प्रविष्टि, वेंडर का पंजीकरण एवं Account Mapping आदि कार्य किये जाते है।

3. पंचायतों का समावेशी विकास (Inclusive Development), संसाधनों के शत् प्रतिशत उपयोग एवं विभिन्न लाईन विभागों द्वारा पंचायत स्तर पर संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रम के अभिसरण (Convergance) से ही संभव है। संविधान के 11वीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषयों से संबंधित सभी विभाग उपर्युक्त अभियान में समावेशी पंचायत विकास योजना तैयार करने में अपने विभाग से संबंधित Frontline Worker के माध्यम से अपनी सहभागिता प्रदान करेंगे तथा इस हेतु अपने स्तर से दिशा–निर्देश निर्गत करेंगे।

4. उल्लेखनीय है कि विभागीय पत्रांक 8949 दिनांक 30.09.2024 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए GPDP/BPDP/DPDP तैयार किये जाने का दिशा निर्देश संसुचित है। उसी प्रकार षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 के लिए सहभागी पंचायत विकास योजना (GPDP/BPDP/DPDP) तैयार किया जाना है। इस सन्दर्भ में GPDP/BPDP/DPDP की परिकल्पना, उद्देश्य, चरण एवं गतिविधियों के चयन की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश इस पत्र के साथ सलंग्न है।

D:\MS EXCEL\MS Excel\Budget\Amit ji\Letter.docx 225

5. जिला पदाधिकारी के मार्गदर्शन, अनुश्रवण एवं निगरानी में उपर्युक्त कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जायेगा। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद उपर्युक्त कार्यक्रम के वरीय पदाधिकारी होंगे तथा जिला पंचायत विकास योजना (DPDP) तैयार किये जाने एवं संबंधित पोर्टल में डाटा प्रविष्टि करने हेतु नोडल पदाधिकारी होंगे। जिला पचांयत राज पदाधिकारी प्रखण्ड पंचायत विकास योजना एवं ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए नोडल पदाधिकारी होंगे। कार्यपालक पदाधिकारी, पचांयत समिति उक्त कार्यक्रम के ससमय कार्यान्वयन एवं निष्पादन हेतु उत्तरदायी होंगे। जिला पदाधिकारी निदेशित कार्य में कोताही बरतने वाले पदाधिकारियों/कर्मियों के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए विभाग को संसूचित करेंगे।

6. अतएव विभागीय पत्रांक 8949 दिनांक 30.09.2024 की प्रति संलग्न करते हुए निदेशानुसार अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 के लिए सहभागी पंचायत विकास योजना (GPDP/BPDP/DPDP) तैयार किए जाने एवं ई–पंचायत पोर्टल में डाटा प्रविष्टि किये जाने का विभाग द्वारा निर्धारित समयावधि क्रमशः दिनांक 26.01.2025 एवं 31.03.2025 तक कराया जाना सुनिश्चित करें। तदोपरांत निर्धारित समयावधि के पश्चात् योजना की प्रविष्टि का विकल्प बंद कर दिया जाएगा।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

(आनंद शर्मा)
निदेशक

ज्ञापांक : 6प०/रा०वि०आ०–14/2019/577/पं०रा०, पटना, दिनांक 10/01/25
प्रतिलिपि : सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

(आनंद शर्मा)
निदेशक

ज्ञापांक : 6प०/रा०वि०आ०–14/2019/577/पं०रा०, पटना, दिनांक 10/01/25
प्रतिलिपि : श्री आशुतोष कुमार, प्रोजेक्ट लीड, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

(आनंद शर्मा)
निदेशक

ज्ञापांक : 6प०/रा०वि०आ०–14/2019/577/पं०रा०, पटना, दिनांक 10/01/25
प्रतिलिपि : राष्ट्रीय सूचना विज्ञान पदाधिकारी (SIO), राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC), बिहार। टेक्नोलॉजी भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

(आनंद शर्मा) 10/01/25
निदेशक

D:\MS EXCEL\MS Excel\Budget\Amt.fi\Letter.docx226